न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0पत्र सं0 05/2018 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, महवा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री धनसिंह बैंसला पुत्र श्री हरभान सिंह बैंसला, निवासी खेडली नारायण सिंह पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार
2.श्री विश्राम गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा एक घरेलू बडे एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर मय एल.पी.जी. 3.5 किलोग्राम एक छोटा गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग इन्स्ट्रूमेंट एवं 43 गैस पास बुक्स को राजसात करने बाबत।

<u>निर्णय</u> दिनांकः 25.08.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना महवा के द्वारा दिनांक 24.5.2018 को एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर से गैस रिफिलिंग करते हुए धनसिंह पुत्र हरभानसिंह बैंसला निवासी खेडली नारायणसिंह को मय एक घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डर एक रिफिलिंग इन्स्ट्रूमेंट, एक छोटा गैस सिलेण्डर एवं 43 पास बुक के साथ पकडा गया था। प्रवर्तन निरीक्षक महवा के द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा ने जब्त उक्त उक्त सामान को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु निवेदन किया गया था।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना महवा के द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा को तहसीर प्रस्तुत कर अवगत कराया कि दिनांक 24.5.2018 को मुताबिक सूचना के घरेलू एल0पी0जी गैस सिलेण्डर से छोटे गैस सिलेण्डर में गैस की रिफलिंग करते हुए श्री धनसिंह पुत्र हरभानसिंह बैंसला जाति गुर्जर निवासी खेडली नारायणसिंह पुलिस थाना मण्डावर को मय एक घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर, एक छोटा गैस सिलेण्डर, एक रिफलिंग इन्स्ट्रूमेंट एवं 43 गैस पास बुक के साथ डिटेन कर थाना महवा पर लाये गये। थानाधिकारी महवा की तहरीर पर थाना परिसर महवा में डिटेन कर उपस्थित व्यक्ति धनसिंह बैसला पुत्र हरभान सिंह ने बताया कि वह मण्डावर रोड अनाज मंडी के गेट के सामने खल की दुकान करता है। दूर दराज के लोग अपनी गैस की डायरियां उनकी इच्छा से ही बुक करवाकर अपने पास रखता है एवं सप्लाई आने पर वह उपभोक्ताओं को इत्तला कर देता है और उपभोक्ता अपने–2 सिलेण्डर ले जाते है। इससे उसके गैस सिलेण्डर सुधारने व खल के व्यापार में वृद्धि होती है। अप्रार्थी धनसिंह ने पुलिस द्वारा डिटेन कर थाना परिसर में रखे गये एक घरेलू एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर, एक छोटा गैस सिलेण्डर क्षमता 5 किलोग्राम व अवैध रिफलिंग से संबंधित सामान तथा गैस डायरियों के संबंध में बताया कि वह उनका मालिक नहीं है। उसने बताया कि गैस रिफलिंग के अवैध

जिला कलेक्टर,दौसा

.....निरन्तर 2 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कारोबार से उसका कोई संबंध नहीं है। मौके से प्राप्त एक घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डर, एच0पी0सी0एल0 कंपनी का क0सं0 151781 खाली वजन 15.5 किलोग्राम व कुल वजन 19.00 किलोग्राम गैस का वजन 3.5 किलोग्राम, एक छोटा एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर खाली व भरा वजन 4.7 किलोग्राम समस्त सिलेण्डरों में गैस का वजन 3.5 किलोग्राम एवं एक रिफलिंग इन्स्ट्रूमेन्ट एवं 43 गैस पास बुक्स अप्रार्थी धनसिंह से अभिग्रहित कर सुरक्षार्थ न्यायालय के निर्णय होने तक सांथा इन्डेन गैस एजेन्सी जरिये प्रोपराईटर श्री छोटूराम मीना पुत्र श्री कन्हैयाराम मीना को सुपुदर्गी में दिया गया। पुलिस द्वारा दी गई तहरीर, डिटेन किये गये व्यक्यिों के बयान व डिटेन कर रखे गये सामानों से प्रथम दृष्टया श्री धनसिंह बैंसला द्वारा गैस रिफलिंग के अवैध कारोबार किये जाने की पुष्टि होती है। श्री धनसिंह बैंसला पुत्र श्री हरभानसिंह बैंसला जाति गुर्जर निवासी खेडली नारायण सिंह द्वारा सिलेण्डरों, रिफलर औजारों व गैस डायरियों के मालिकाना हक से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना, संतोषजनक जवाब नहीं देना व सिलेण्डरों की अवैध रिफलिंग का कार्य करने के कारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4, 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा एक घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डर, एच0पी0सी0एल0 कंपनी का क0सं0 151781 खाली वजन 15.5 किलोग्राम व कुल वजन 19.00 किलोग्राम गैस का वजन 3.5 किलोग्राम, एक छोटा एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर खाली व भरा वजन 4.7 किलोग्राम समस्त सिलेण्डरों में गैस का वजन 3.5 किलोग्राम एवं एक रिफलिंग इन्स्ट्रूमेन्ट एवं 43 गैस पास बुक्स को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में दलील दी कि प्रवर्तन निरीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में वर्णित सामान से अप्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। उक्त सामान अप्रार्थी का नहीं है। साथ ही गैस गोदाम में जो सामान पडा मिला था वह उपभोक्ताओं का था, क्योंकि गैस की गाडी आती रहती है। घटना के दिन गाडी नहीं आई थी, और उपभोक्तागण अपनी डायरियों को गैस गोदाम पर ही छोडकर चले गये थे कि गाडी आयेगी तब गैस सिलेण्डर व डायरी ले जावेंगे। गैस गोदाम के निरीक्षण के दौरान जो सामान मिला था, उससे अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। पूछताछ के दौरान भी अप्रार्थी ने उक्त सामान स्वयं का होने से मना कर दिया था। उक्त वस्तुएं राजसात करने मे अप्रार्थी को कोई एतराज नहीं होना बताया तथा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए की कार्यवाही ड्रोप फरमाने हेतु निवेदन किया।

विभागीय पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि थानाधिकारी, पुलिस थाना महवा के द्वारा दिनांक 24.5.2018 को एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर से गैस रिफलिंग करते हुए धनसिंह पुत्र हरभानसिंह बैंसला निवासी खेडली नारायणसिंह को मय एक घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डर एक रिफलिंग इन्स्ट्रूमेंट, एक छोटा गैस सिलेण्डर एवं 43 पास बुक के साथ डिटेन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त सामान से कोई सरोकार नहीं होना बताते हुए उक्त सामान को राजसात किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया। अप्रार्थी द्वारा जब्तशुदा सामान का कोई वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने एवं अप्रार्थी के द्वारा गैस की अवैध रिफलिंग किये जाने की पुष्टि होती है। एल.पी.जी. गैस घरेलू सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order,** 2000 के क्लॉज 3(C) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य है।

.....निरन्तर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्त शुदा एक घरेलू एल0पी0जी0 सिलेण्डर, एच0पी0सी0एल0 कंपनी का क0सं0 151781 खाली वजन 15.5 किलोग्राम व कुल वजन 19.00 किलोग्राम गैस का वजन 3.5 किलोग्राम, एक छोटा एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर खाली व भरा वजन 4.7 किलोग्राम समस्त सिलेण्डरों में गैस का वजन 3.5 किलोग्राम एवं एक रिफलिंग इन्स्ट्रूमेन्ट एवं 43 गैस पास बुक्स को राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते है कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 25 अगस्त, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा